राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : प 30/(6)/(9)/विधि/मअ/त्रैमासिक समीक्षा/ 41252 – 254 जयपुर,दिनांक 4/6/13

1 समस्त (प्रभारी अधिकारी)
परियोजना निदेशक/उपनिदेशक/कार्यक्रम अधिकारी
महिला अधिकारिता विभाग

2 समस्त (प्रभारी अधिकारी)
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग

3 समस्त (प्रभारी अधिकारी)
बाल विकास परियोजना अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग

विषय :– विभिन्न न्यायालयों में महिला अधिकारिता विभाग से संबंधित लंबित न्यायिक प्रकरणों की त्रैमासिक रिपोर्ट विहित प्रारूप में उपलब्ध कराने बाबत।

विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं संस्थापन संबंधी प्रकरणों में मुख्यालय द्वारा आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर प्रकरण की अद्यतन स्थिति से मुख्यालय को अवगत कराने के निर्देश समय–समय पर दिये जाते है। इस संबंध में निदेशालय, महिला अधिकारिता से संबंधित प्रकरणों की प्रत्येक माह अद्यतन स्थिति विधि विभाग द्वारा विहित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। किन्तु यह विदित हुआ है कि प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक त्रैमास में विहित प्रारूप में रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जाती है। अतः इस संबंध में दिशा निर्देश व विहित प्रारूप संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय, महिला अधिकारिता से संबंधित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्रत्येक त्रैमास के प्रथम कार्य दिवस को तैयार कर चौथे कार्य दिवस तक मुख्यालय को डाक द्वारा एवं ई–मेल directorwe2013@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

ह०
(डॉ० रेखा गुप्ता)
निदेशक,
महिला अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर
4/6/13

प्रतिलिपिः

1. उप शासन सचिव न्याय विभाग शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप सचिव महिला आयोग जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आयोग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास में विहित प्रारूप उपलब्ध करावें
3. प्रभारी अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी/प्रोग्रामर को निर्देशानुसार भेजकर लेख है कि विहित प्रारूप में डाटाबेस तैयार करने की कार्यवाही करें।

(वीरेन्द्र मेहता)
मुख्य लेखाधिकारी
महिला अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

त्रैमासिक रिपोर्ट संधारित करने एवं प्रारूप में उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश

1. 1 जनवरी से 31 मार्च तक त्रैमासिक रिपोर्ट देय 1 अप्रेल
2. 1 अप्रेल से 30 जून तक त्रैमासिक रिपोर्ट देय 1 जूलाई
3. 1 जूलाई से 30 सितम्बर तक त्रैमासिक रिपोर्ट देय 1 अक्टूबर
4. 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक त्रैमासिक रिपोर्ट देय 1 जनवरी

मुख्य पक्षकार (M):– इन कॉलमों में वे प्रकरण गिने जाते है जिनमें चाहा गया अनुतोष इस विभाग से संबंधित है व अन्य विभाग औपचारिक पक्षकार है।

औपचारिक पक्षकार (F):– इन कॉलमों में वे प्रकरण गिने जाते है जिनमें चाहा गया अनुतोष इस विभाग से पूर्ण रूप से संबंधित नहीं है व अन्य विभाग मुख्य पक्षकार है।

त्रैमासिक आंकडे संधारित करने के लिए प्रत्येक प्रभारी स्तर पर विहित प्रारूप में रजिस्टर संधारित कर उक्त में प्रत्येक माह कॉलम अनुसार आंकडे संधारित किये जाने है एवं प्रत्येक त्रैमास पर उक्त आंकडों को जोडकर/घटाकर प्राप्त आंकडे प्रदर्शित करने है।

न्यायालयः–

1. उच्चतम न्यायालय :–उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष प्रकरणों, पूर्व शेष, प्राप्त, दायर व शेष बकाया जवाब प्रकरणों, पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष बकाया पालना व पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष बकाया अवमानना से संबंधित आंकडे प्रदर्शित करने है।

2. उच्च न्यायालय :–राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, पीठ जयपुर, अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष प्रकरणों, पूर्व शेष, प्राप्त, दायर व शेष बकाया जवाब प्रकरणों, पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष बकाया पालना व पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष बकाया अवमानना से संबंधित आंकडे प्रदर्शित करने है।

3. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण :– अधिकरण जयपुर व पीठ जोधपुर में पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष प्रकरणों, पूर्व शेष, प्राप्त, दायर व शेष बकाया जवाब प्रकरणों, पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष बकाया पालना व पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष बकाया अवमानना से संबंधित आंकडे प्रदर्शित करने है।

4. अधीनस्थ :—सिविल न्यायालय क0ख0, सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड, अति0 जिला न्यायालय एवं जिला न्यायालय में पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष प्रकरणों, पूर्व शेष, प्राप्त, दायर व शेष बकाया जवाब प्रकरणों, पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष बकाया पालना व पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष बकाया अवमानना से संबंधित आंकडे प्रदर्शित करने है।

5. अन्य :—श्रम न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, वेतन संदाय न्यायालय, लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इत्यादि में पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष प्रकरणों, पूर्व शेष, प्राप्त, दायर व शेष बकाया जवाब प्रकरणों, पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष बकाया पालना व पूर्व शेष, प्राप्त, निस्तारित व शेष बकाया अवमानना से संबंधित आंकडे प्रदर्शित करने है।